भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *124

(जिसका उत्तर 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया जाना है)

धन शोधन को रोकने के लिए सहकारी बैंकों के लिए कठोर मानदण्ड

*124. श्री अनिल देसाई:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय सहकारी बैंकों के लिए कठोर मानदण्ड ला रहा है चूंकि उन्हें धन शोधन में संलिप्त पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे लेनदेन में कौन-कौन से सहकारी बैंक संलिप्त पाए गए हैं तथा उनके विरुद्ध की गई निवारक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'धन शोधन को रोकने के लिए सहकारी बैंकों के लिए कठोर मानदण्ड' के संबंध में श्री अनिल देसाई द्वारा पूछे गए 14 मार्च, 2017 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *124 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): धन शोधन रोधी अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के उपबंधों तथा धन शोधन रोधी (अभिलेखों का अनुरक्षण) (पीएमएल) नियम, 2005 के अनुसार विनियमित संस्थाओं को खाता आधारित सम्पर्क स्थापित करके अथवा अन्य तरीकों से लेनदेन करते समय निर्धारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया का अनुसरण करना एवं उनके लेनदेन की निगरानी करना अपेक्षित है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों के लिए यथा प्रयोज्य) तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी)/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी)/शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के बैंकिंग कार्यकलापों का विनियमन तथा उनका पर्यवेक्षण करता है। आरबीआई ने अपने द्वारा विनियमित सहकारी बैंकों सहित सभी संस्थाओं को 25 फरवरी, 2016 को अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) के संबंध में मास्टर निदेश जारी किया है (इसे 08 दिसम्बर, 2016 को अद्यतन किया गया है), जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली संस्थाओं के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, पीएमएल नियम, 2005 के संगत उपबंधों के अंतर्गत भारतीय आर्थिक आसूचना इकाई (एफआईयू-आईएनडी) को आवश्यक सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित किया गया है।

एफआईयू-आईएनडी एक केन्द्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है जो संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित सूचना प्राप्त करने, इस संबध में कार्रवाई करने, इसका विश्लेषण करने तथा इसे प्रसारित करने के लिए उत्तरदायी है। एफआईयू-आईएनडी पीएमएलए, 2002 के उपबंधों के अंतर्गत सहकारी बैंकों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली संस्थाओं से निर्धारित सूचना प्राप्त करता है और सूचना का विश्लेषण करने के पश्चात समुचित मामलों में संगत आसूचना/प्रवर्तन एजेंसियों को इसकी सूचना देता है।

प्रवर्तन निदेशालय को पीएमएलए, 2002 के उपबंधों को लागू करने के कार्य का अधिदेश दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन में कथित संलिप्तता के लिए कुछेक सहकारी बैंकों के निदेशकों के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के उपबंधों के अंतर्गत जांच आरंभ की है। ऐसी संस्थाओं के नाम तथा अन्य ब्यौरे को इस स्तर पर प्रकट करना जनहित में नहीं होगा क्योंकि इससे चल रही जांच प्रभावित हो सकती है।

*****